राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक– एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 90/अलेसे–III/ 2574-2590 दिनांक– 13/6/2012

आदेश संख्या 98/2012–13

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ 11 (7) वित्त (नियम) पार्ट– I/2008 दिनांक 06-10-2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) वेतन श्रृंखला पी0बी0–2 (9300-34800) ग्रेड पे 4200/– में स्वीकृत की जाती है :–

क्र. सं	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	मेरिट/बैच न0	कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सतीश उपाध्याय	198/90	26.07.1993	26.07.2011	
2.	महावीर चन्द लोढ़ा	542/90	03.01.1994	03.01.2012	
3.	महेश कुमार तिवाड़ी	561/90	03.01.1994	03.01.2012	
4.	श्रीमती बीनू छिब्बर	DGS/90	08.03.1994	08.03.2012	
5.	सुधीर सुरोलिया	DGS/90	28.03.1994	28.03.2012	
6.	हितेन्द्र कुमार जैन	DGS/90	31.03.1994	31.03.2012	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारो को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प0 14 (88) वित्त/नियम /2008 दिनांक 31-12-2009 में दी हुई शर्तो के संबध में संतोषजनक सेवा संबधी प्रमाण पत्र तथा सन्तान सबधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है। क्रम संख्या 7 एवं 8 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारो की सन्तान संबधी घोषणा पत्र निदेशालय में द्वितीय ए.सी.पी. देय तिथि से पूर्व में प्राप्त होने के कारण कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लें कि कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 7(1)डीओपी/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 के क्रम में सन्तान की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

क्रमश 2

क्रम संख्या 2 एवं 6 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के मेमोरण्डम दिनांक **07-06-2011** के अनुसरण में उतने ही पिछले वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक **12-09-08** के पैरा **19** के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान **2008** में वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यकरूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावें।

निदेशक

क्रमांक:– एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 90/अलेसे–III/ 2574-2590 दिनांक:– 13/6/2012

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ....

2- श्री .... कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय ....

3- निजी सहायक निदेशक, महोदय।

4- संयुक्त निदेशक (कार्मिक–I) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।

5- कम्प्यूटर (वेबसाईट हेतु) शाखा।

6- निजी/गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II)